

मध्य प्रदेश कम्प्यूटरकृत भू-अभिलेख

खसरा

प्ररूप एक (नियम 6 देखिए)

मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020



ग्राम: खजुरी कलाँ			पटवारी हल्का: खजुरी कला			तहसील: हुजूर			जिला: भोपाल		वर्ष: 2024-2025
भूमि के भाग की यूनिट आईडी	भूमि के भाग का प्रकार (सर्वेक्षण संख्यांक/ब्लॉक संख्यांक)	भू-खण्ड संख्यांक(ब्लॉक की दशा में)	1. क्षेत्रफल (हेक्टेयर/वर्ग मीटर में) 2. भूमि उपयोग जिसके लिए निर्धारण किया गया है 3. भू-राजस्व/भू-भाटक (रु. में)	1. भूमिस्वामी का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता 2. शासकीय भूमि	प्रत्येक भूमिस्वामी का अंश	1. सरकारी पट्टेदार का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता 2. पट्टे की अवधि 3. पट्टे के अधीन क्षेत्र	मौरुषी कृषक (यदि कोई हो) का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता	भूमि पर विलग्नता तथा प्रभाव 1. बंधक 2. दृष्टिबंधक 3. भू-अर्जन प्रक्रियाधीन	कसल के ब्योरे फसल 1. खरीफ 2. रबी 3. जायद 4. अन्य	फसल के अधीन क्षेत्रफल	1. भूमि के सिंचाई संबंधी प्राप्ति 2. भूमि पर संरचना/वृक्ष 3. अन्य अभियुक्तियाँ 4. वर्ष के दौरान कॉलम संख्या (1) से (9) तक में प्रविष्टियों में सुधार के आदेश
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1554861161 816RGYDAFMJFH0	204/1/2 (S)		0.1422 हेक्टेयर	आरकेएनबिल्डकॉनइंडिया प्रालिडायरेक्टरश्री रामकुमारनारवानी पिता स्व के एल नारवानी पता नि शाप न 10 अपर ग्राउंड प्लॉट न जी 2/113 अमलतास रेजेंसी गुलमोहर अमलतास रेजेंसी गुलमोहर भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	1						न्यायालय तहसीलदार के प्रकरण क्र. 4013/अ-6/2022-23, आदेश दि. 24/01/2023 के अनुसार भू-अभिलेख अद्यतित न्यायालय तहसीलदार के प्रकरण क्र. 1458/अ-6/2021-22, आदेश दि. 03/03/2022 के अनुसार भू-अभिलेख अद्यतित न्यायालय तहसीलदार के प्रकरण क्र. 0025/अ-27/2022-23, आदेश दि. 17/03/2023 के अनुसार भू-अभिलेख अद्यतित व्यपवर्तन की सूचना क्र.22052294587 चालान क्र. 051/9999999 /0029/04 /23/075708 राशि रु. 31280 दिनांक की पुष्टि उपखण्ड अधिकारी हुजूर के द्वारा दिनांक 25/04/2023 को की गयी (यह जमीन सिंचित है) ना.प.क्र. 138 आ.दि. 20.9.2011 के अनुसार ना.प.क्र. 58 आ.दि. 17.5.2013 के अनुसार
			आवासीय								
			रु.2844.00								

नोट :-

1. यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिये है ।
2. इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नहीं किया जा सकता है ।
3. डिजिटली साईड कॉपी के लिए लोक सेवा केंद्र से, एम. पी. ऑनलाइन से अथवा ऑनलाइन आवेदन करें ।